



**विचार-मंथन**



## **समझौतों के आधार पर एफआईआर रद्द करना अनुचित**

यह कोई छिपा तथ्य नहीं है कि बच्चों का अपहरण और उनकी तस्करी गंभीर समस्या बन चुकी है। ऐसे में किसी बच्चे के अपहरण के एक मामले में समझौते के आधार पर आरोपी को राहत देने जैसी कोई कानूनी व्यवस्था सामने आती है, तो एक गलत नजीर बनेगी। यही बजह है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए बिल्कुल स्पष्ट रूख अखियायर किया और अपहरणकर्ता और बच्चे के माता-पिता के बीच हुए समझौते के आधार पर प्राथमिकी को रद्द करने में इनकार कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि समझौतों के आधार पर अगर प्राथमिकी रद्द कर दी जाती है तो यह कानून के शासन को

कमजोर करने जैसा होगा। गौरतलब है कि संवधित मामले में एक बच्ची और उसके दो साल के भाई को उनके पढ़ोसी ने अपहरण करने के बाद एक दंपति को खीस हजार रुपए में बेच दिया था। फिर अपहरण करने के लगातार रोते रहने की वजह से उसे उसके घर वापस छोड़ दिया गया था। बाद में बच्ची को भी ढूँढ़ लिया गया। इसमें बच्ची को खरीदने वाले दंपति ने इस आधार पर प्राथमिकी रख करने का अनुरोध किया था कि उन्हें इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि बच्ची का अपहरण किया गया था। दरअसल, इस मामले में एक पहलू यह है कि अरोपी दंपति की चिकित्सा संबंधी कोई समस्या थी और वे संतान पैदा कर पाने की स्थिति में नहीं थे। इसी आधार पर उन्होंने अदालत से अपने लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की मुहार लगाई। मगर गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्होंने बच्चा हासिल किया होता, तो उनके सामने इस अपराध में एक पक्ष बनने की नीत न आती। बाद में भले उनका बच्चों के माता-पिता के साथ कोई समझौता हो गया हो, मगर अपहरण और बेचे जाने के जरिए बच्चा पाने का यह तरीका एक गंभीर अपराध की प्रेणी में आता है। बच्चों का अपहरण, शोषण और उनकी तस्करी आज एक संगठित अपराध के तौर पर भी विकसित हो चुका है। आए दिन कहीं न कहीं से बच्चों के लापता होने या अगवा

किए जाने की खबरें आती रहती हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस मसले पर अपना सरोकार जाहिर किया कि बच्चों के अपहरण और तस्करी गंभीर अपराध हैं, जिनका बड़े पैमाने पर समाज के साथ-साथ बच्चों के स्वास्थ्य, अस्तित्व और विकास पर गंभीर असर पड़ता है। संबंधित मामले में एक अफसोसनाक पहलू यह भी था कि बच्चों के माता-पिता चाहते थे कि वे अपहरण के आरोपियों के साथ रहें। संभव है कि बाद की परिस्थितियों में दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गई हो, मगर तकनीकी रूप से यह मामला बच्चों के अपहरण और तस्करी का ही था और इसके शिकार बच्चों को बेहद त्रासद जीवन से गुजरना पड़ता है। इसीलिए अदालत ने कहा कि अगर ऐसे मामलों में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाता है, तो यह आपराधिक कानून के सिद्धांतों को प्रसारित करने और इस प्रक्रिया में कानून के शासन को कमज़ोर करने जैसा होगा। भारत में बच्चे ही अपहरण का सबसे अधिक शिकार हैं। इनमें भी ज्यादा संख्या लड़कियों की होती है। अब बच्चों को आमतौर पर बाल मजदूरी या देह व्यापार में जोक दिया जाता है। ऐसे में इस समस्या पर काबू पाने के लिए कानून के मोर्चे पर सख्ती एक जरूरी कदम हो जाता है। निश्चय ही अदालत का यह कदम बाल अधिकारों, उनकी तस्करी आदि से जुड़े मामलों की सुनवाई में एक नजीर बनेगा।

## चुनाव की सार्वत्रिक के लिए ईवीएम पर हो पुनर्विचार

विनीत नारायण

चुनाव आयोग एक संवेदनशील संस्था है, इसे किसी भी दल या सरकार के प्रति पश्चात होता दिखाई नहीं देना चाहिए। यदि चुनाव आयोग ऐसे मुश्किलों को जनहित में लेती है तो मतदाताओं के बीच भी एक सही संदेश जाएगा, कि चुनाव आयोग किसी भी दल के साथ पश्चात नहीं करता। चुनाव लोकतंत्र की नींव होते हैं। किसी देश का भविष्य चुनाव में जीतने वाले दल के हाथ में होता है। वहाँ उसे कुल मतदाताओं के एक तिहाई सी मत क्यों न मिले हों। पर उसकी नीतियों का असर सौ फीसदी मतदाताओं और उनके परिवारों पर पड़ता है। इसलिए चुनाव आयोग का हर काम निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। सही है कि छनीसगढ़ और मध्य प्रदेश की विधानसभाओं के चुनावों के नीति चौकने वाले हैं। क्योंकि इन दोनों राज्यों में पिछले कुछ महीनों से हवा कांग्रेस के पश्च में बह रही थी। इसलिये सारा विषय हैरान है और हतोत्साहित भी। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कमल नाथ इन परिणामों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और चुनाव आयोग को दोषी ठहरा रहे हैं। अपने सैकड़ों आरोपों के समर्थन में इन नेताओं के कार्यकर्ता तमाम साक्ष्य जुटा चुके हैं। इसी चुनाव में मध्य प्रदेश में डाक से आये मत पत्रों में 171 विधानसभाओं में कांग्रेस जीत रही है यह सूचना चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से पता चली है। फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस कैसे हार गई। जिस अन्वयक से सारे प्रबलासार्थी ने कांग्रेस के



पश्च में बाट दिया था वा भी ये दखलकर हैरान हैं कि उनके इलाके से भाजपा को इतने बोट कैसे मिल गये? ऐसे तमाम प्रमाणों को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना संघर्ष जारी रखेंगे। ये बात दूसरी है कि चुनाव आयोग उनकी बात पर गौर करेगा या नहीं। जबकि भाजपा इन नतीजों से न केवल अतिरिक्तसाहित है बल्कि विपक्ष की हताशा को 'खिसकानी विली खम्मा नौचे' बता रही है। यीतो कुछ चुनावों में, देश के अलग अलग प्रान्तों में, यह देखा गया है कि इलाके की जनता की भारी चाराज़गी के बावजूद वहाँ के भौजूदा विधायक या सांसद ने मिछले चुनावों के मुकाबले काफ़ी अधिक संख्या से जीत हासिल की। ऐसे में चुनावी मशीनरी पर सवाल खड़े होना ज़ाहिर सी बात है। जो भी नेता हारता है वो ईवीएम या चुनावी मशीनरी को दोषी ठहराता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक उन्न के नेता ने ईवीएम की गड़बड़ी या उससे छड़-आरोप लगाते आए हैं। इस ब अनेकों उदाहरण हैं जहां हर प्रमुख के नेताओं ने कई चुनावों के ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा चुनाव आयोग की बात करे तो आरोपों का शुरू से ही खंडन कर आयोग के अनुसार ईवीएम में ग की कोई गुंजाइश ही नहीं है। 19 दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश विधान सभा की कुछ सीटों पर यह का इस्तेमाल हुआ था। परंतु 200 आम चुनावों में पहली बार हर संघीय बोर्ड में ईवीएम का पूरी तरह से इस्तेमाल हुआ। सन् 2009 के चुनावी नती बाद इसमें गड़बड़ी का आरोप द्वारा लगा। गैरतात्पर है कि दुनिया 31 देशों में ईवीएम का इस्तेमाल परंतु खास बात यह है कि अन्य देशों ने इसमें गड़बड़ी कि शिकायत लगाया है। ऐसा क्यों?

चुनाव किये जाने लगे। अमेरिका, इंग्लैण्ड, जर्मनी जैसे विकसित देश जिनकी टेक्नोलॉजी अहुत एडवांस है और जिन देशों में मानव समाधान की कमी है उन देशों ने भी ईवीएम को नकार दिया है। इन सब देशों में चुनाव मत पत्रों के द्वारा ही कराये जाते हैं। किसी भी समस्या की शिकायत करने से उसका हल नहीं होता। शिकायत के साथ समाधान का सुझाव भी दिया जाए तो उस पर चुनाव आयोग को गौर करना चाहिए। इस विवाद को हल करने के दो ही तरीके हैं एक तो यह कि बांस्तादेश की तरह सभी विपक्षी दल एक जुट होकर ईवीएम का बहिकार करें और चुनाव आयोग को मत पत्रों से ही चुनाव कराये जाने के लिए बाध्य करें। दूसरा विकल्प यह है कि चुनाव आयोग ऐसी व्यवस्था करे कि ईवीएम से निकलने वाली छुट्टक्का की एक पर्ची को मतदाता को दे दिया जाए और दूसरी पर्ची को उसी पोलिंग बूथ में खो मत पेटी में डलवा दिया जाये। मतगणना के समय ईवीएम और मत पत्रों की गणना साथ-साथ हो। ऐसा करने से यह विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जायेगा। साथ ही भविष्य में कोई दल सत्तारूप दल पर चुनावों में धांघली की शिकायत नहीं कर पायेगा। जब भी कभी कोई प्रतियोगिता होती है तो उसका संचालन करने वाले शक के थेरे में न आएँ इसलिए उस प्रतियोगिता के हर कृत्य को सार्वजनिक रूप से किया जाता है। आयोजक इस बात पर खास ध्यान देते हैं कि उन पर व्यापार वा अपेक्षा न लगे। यहीना उस भी कभी आयोजकों को कोई सुनिश्चित विजय नहीं होता। वे उन्हें सही लगा देते हैं तो वह उसे स्वीकार लेते हैं। ऐसे में उन पश्चात का आरोप नहीं लगता। हमें उसी तरह एक स्वस्थ लोकतंत्र में वाली सबसे बड़ी प्रतियोगिता चुनाव उसके आयोजक बानी चुनाव आयोग को उन सभी सुझावों को खुले दिमाग में और निश्चिता से लेना चाहिए। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, किसी भी दल या सरकार के विरोध में उसकी विवादों को उसका पश्चात होता दिखाई नहीं देना चाहिए। चुनाव आयोग ऐसे सुझावों जनहित में लेती है तो मतदाताओं और वीच भी एक सही संदेश जाएगा, चुनाव आयोग किसी भी दल के साथ पश्चात नहीं करता। चुनाव लोकतंत्र की नीति होते हैं। किसी देश का भवित्व उसकी जीतने वाले दल के हाथ में होता है। चाहें उसे कुल मतदाताओं के एक तिहाई ही मत वालों न मिले हों। उसकी नीतियों का असर सौ फीसदी मतदाताओं और उनके परिवारों पर पड़ता है। इसलिए चुनाव आयोग का हर विवाद और पारदर्शी होना चाहिए। हमें संविधान भी चुनावों के स्वतंत्र विषय किये जाने के बिंदेश देता है। 1990 से पहले देश के आम मतदातों को चुनाव आयोग जैसी किसी संस्था द्वारा संचालित का पता नहीं था। उन वर्षों भी भीर-भीर चुनावों के दौरान हिस्सा, प्रमुख विवादों का विषय भी नहीं था। उस समय अपनी कालचक्र विडियो मैगजीन एवं टाइम्स गैरी गोपनीय सर्वानुष्ठान भी।

## आकाश आनंद ने 2019 में पहली बार रैली को किया था संबोधित



न करने की शर्त पर एक बसपा नेता ने आकाश आनंद के बारे में कहा था, +वह एक अच्छे श्रोता हैं यानी वह लोगों की बातों को स्वायत्ता से सुनते हैं। वह पटिक्षिकारियों के अलावा कार्यकर्ताओं से भी आतचीत करते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव (2022) के दौरान उन्होंने युवाओं के साथ कुछ बैठकें कीं। दूसरे राज्यों में वह वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करते रहे हैं। बहन जी (मायावती) उन्हें लंबे समय के लिए तैयार कर रही हैं। जब भी वह किसी पाटी की बैठक के लिए किसी जिले का दौरा करते हैं, तो उनके साथ संबंधित गव्य के कम से कम दो समन्वयक होते हैं जो उन्हें स्थानीय राजनीतिक परिदृश्य के बारे में जानकारी देते हैं और स्थानीय केंद्र से परिचित करते हैं। 2019 में चुनाव आयोग ने मायावती 48 घंटे का प्रतिवर्ष लगा दिया था। उस दौरान आकाश आनंद ने पहली बार चुनावी रैली को संबोधित किया था। उन्होंने आगरा में समाजवादी पाटी प्रमुख अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल नेता अजीत सिंह के साथ मंच साझा किया था। ये तीनों दल लोकसभा चुनाव से पहले बने भाजपा विरोधी और कांग्रेस विरोधी गठबंधन महागठबंधन का हिस्सा थे। हालांकि, जब गठबंधन बसपा को लाप्प देने में विफल रहा, तो मायावती गुट से बाहर चली गई। इसी साल आनंद को बसपा का राष्ट्रीय समन्वयक बनाया गया था। इस साल की शुरूआत में आकाश 14 दिवसीय 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' संकल्प यात्रा शुरू की थी। इस यात्रा का मकसद आम चुनाव से पहले युवा नेता को तैयार करना था। बाद में उन्हें राजस्थान चुनाव के लिए बसपा का प्रभारी बनाया गया, जिसमें पाटी केवल दो सीटें जीती हैं।

हाँ सोहन आदम मध्यामदेश के मध्यामंत्री

**हाईकमान मामा को  
मार्गदर्शक मंडल में तो  
नहीं भेज रही!**



ଆଜ୍ୟ ପାତ୍ରମାଲା

कामाक्षरम् २	सुधारा १
<p><b>पिंड</b> विद्युति पुरुषे विद्युति से जल लाभी प्रयोग संविधेय है विद्युति जलभोजन संविधेय के बाहर जल लाभी प्रयोग संविधेय से विद्युति साधन है। यह और जल प्रयोग जल लाभी पुरुषों का साधन है। जल लाभी प्रयोग संविधेय जल लाभी पुरुषों का साधन है। जल प्रयोग संविधेय जल लाभी पुरुषों का साधन है।</p>	<p><b>कामाक्षर</b> कामाक्षर विद्युति जल लाभी प्रयोग संविधेय का साधन है। जल प्रयोग संविधेय के बाहर जल लाभी प्रयोग संविधेय से विद्युति साधन है। यह जल प्रयोग संविधेय का अधिक जल लाभी प्रयोग है। जल प्रयोग संविधेय का अधिक जल लाभी प्रयोग है। जल प्रयोग संविधेय का अधिक जल लाभी प्रयोग है।</p>

**मिशन** ब्रिटिश-हिन्दू साम्राज्य का अधीन  
बल पर रखे और इस स्वतंत्रता का भी  
उत्तराधिकार दिया गया था। यहाँ  
ही विदेशी आक्रमण से बचा रहा था।  
अपना एक संवैधानिक संघ से अपनी राजी  
प्रशासन की विधि को बदल दिया और अपना  
प्रधानमंत्री की विधि को बदल दिया। अब का लक्षण है।

सुडोकू पहेली				क्रमांक- 5084			
				6			7
	6					9	8
1			4		2		3
	4	9		6	7		5
	1						6
	3		8	9		4	7
	2		5		1		4
5	8					2	
6			3				

**नियम :** प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक अंक भरे जाने आवश्यक हैं, इनका क्रमावार होना आवश्यक नहीं है। आँखी व छाँखी पंक्ति में एवं  $3 \times 3$  के बग्गे में अंक की पुनरावृत्ति न हो, पहले से भी जूदे अंकों को आप हटा नहीं सकते।

सुओकू पहेली अ. 5083								
5	1	7	3	6	9	8	2	4
8	4	9	7	1	2	6	5	3
6	2	3	8	5	4	7	1	9
4	9	8	5	2	3	1	6	7
3	6	5	1	4	7	2	9	8
1	7	2	9	8	6	4	3	5
7	8	1	6	3	5	9	4	2
2	5	6	4	9	8	3	7	1

ਕੰਗ ਪਾਵਲੀ 5084					
1	2	3	4	5	6
7			8		9
10			11		
	12	13		14	15
16	17		18		
	19		20		21
22					
		23		24	

मंडकेतः याएँ से दाएँ	५. गुलब मेरे एक प्रकार की गति ( ३ )
१. २ जुग इस भारतीय पेंसेवर टेंगिय लिखताही कह जाम लिखत है ( ६ )	६. घोड़ा, पर ( ३ )
२. रामना लखनीया माझे ( ३ )	७. यात्राप्रदेश कह मह शहर चूहा-पत्थर के शहर के नाम से लोकप्रिय है ( ३ )

8. लगातार एक साल तक वह जगती का लियाहाना करता है (4)

10. बृंदावन की अधिकारी में पहले बढ़ते हैं (2)

11. उत्तम, बाबूवाली, लक्ष्मण (3)

12. अनेक प्रकाश के, एक दिवासी (2)

14. इस वृक्ष की छात औरपांच को लियाहान में भी प्रयुक्त होती है (2)

16. नम चापयम, नम निर्देशन, फिरी कठम के लिए लियाहान तकलीफ (उद्दी) (3)

19. स्वप्नगामीस (अधिकारी) (2)

20. समर्पणम्, लक्ष्मी का मिलान (4)

22. संतानि, औलेन, तुम पानी (3)

23. चुकाता लिया हुआ, दिल दुजा (2)

24. चोटी की प्रीति तथा उत्तरावत बढ़ते के लिए लिया गया खालीहान उद्धोषण (2)

उपर से नीचे

1. घोड़ों की गिरावटी (3)
2. लगातार 500 दिनों में जुख पेट कर चुकी में लगातारा अधिकारी (3)
3. दिवासी, नियम, तात, विवाहारी, नियम (उद्दी) (2)

13. आजाज, शब्द, खति (2)

15. याज का लिया, अतिपूर (3)

17. जाता का दुलार जो उत्तरांश सातांश पर, होता है (3)

18. पार प्रसिद्ध चारोंपार पारबं लियाहान मी (23 नवंबर 1930-20 जुलाई 1972) (4)

21. भेद पा बाबूरी का लक्ष्मण (3)

22. वेश्यां इक्का, होता, लियी व्यापकरण में लियाहान का बोकाम-भूलक गान्ध (2)



